प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए नियम (1.6.2022 से प्रभावी)

योजना का विवरण

पीएमएसबीवाई एक दुर्घटना बीमा योजना है जो दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता के लिए आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता आवरण प्रदान करती है। यह एक साल का कवर होगा, जिसे प्रति वर्ष नवीनीकृत किया जा सकता है। इस योजना को सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों (पीएसजीआईसी) और अन्य साधारण बीमा कंपनियों के माध्यम से प्रस्तुत/प्रशासित किया जाएगा जो आवश्यक अनुमोदन के साथ समान शर्तों पर उत्पाद की पेशकश करने के लिए इच्छुक हैं और इस उद्देश्य के लिए बैंकों/डाकघरों के साथ गठजोड़ करते हैं। भागीदार बैंक/डाकघर अपने ग्राहकों हेतु योजना को लागू करने के लिए ऐसी किसी भी बीमा कंपनी को नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

आवरण का क्षेत्र भागीदार बैंकों/डाकघरों में 18 से 70 वर्ष की आयु के सभी व्यक्तिगत बैंक/डाकघर खाताधारक शामिल होने के पात्र होंगे। एक या अलग-अलग बैंकों/डाकघरों में एक से अधिक बैंक/डाकघर खातों के मामले में, व्यक्ति केवल एक बैंक/डाकघर खाते के माध्यम से योजना में शामिल होने के लिए पात्र होगा। आधार बैंक/डाकघर खाते के लिए प्राथमिक केवाईसी होगा।

नामांकन का तरीका/अवधि: आवरण 1 जून से 31 मई तक की अवधि के लिए होगा, जिसके लिए निर्धारित प्रपत्रों पर नामित बैंक/डाकघर खाते से ऑटो-डेबिट में शामिल होने/भुगतान करने के विकल्प की आवश्यकता होगी जो प्रतिवर्ष 31 मई तक दिया जाता है। पूर्ण वार्षिक प्रीमियम के भुगतान पर बाद में शामिल होना संभव होगा। हालांकि, आवेदक नामांकन/ऑटो-डेबिट के लिए अनिश्चित/लंबा विकल्प दे सकते हैं, बशर्ते कि पिछले अनुभव के आधार पर संशोधित शर्तों के साथ योजना को जारी रखा जाए। किसी भी समय योजना से बाहर निकलने वाले व्यक्ति भविष्य के वर्षों में उपरोक्त तरीके से योजना में फिर से शामिल हो सकते हैं। प्रतिवर्ष पात्र श्रेणी में नए प्रवेशकर्ता या वर्तमान में पात्र व्यक्ति जो पहले शामिल नहीं हुए थे, भविष्य के वर्षों में शामिल होने में सक्षम होंगे, बशर्ते योजना जारी रहे।

लाभ: निम्न तालिका के अनुसार:

	लाभ तालिका	बीमाराशि
ए	मृत्यु	रुपए दो लाख
बी	दोनों आँखों की पूर्ण और अपूरणीय क्षति या दोनों हाथों या दोनों पैरों के उपयोग की हानि अथवा एक आँख की दृष्टि की हानि और एक हाथ या एक पैर के उपयोग की हानि ;	रुपए दो लाख
सी	एक आँख की पूर्ण और अपूरणीय क्षति या एक हाथ या एक पैर के उपयोग की हानि;	रुपए एक लाख

प्रीमियम: रु. 20/- प्रति सदस्य प्रति वर्ष। योजना के अंतर्गत 1 जून को या उससे पहले प्रत्येक वार्षिक कवरेज अवधि हेतु एक मुश्त 'ऑटो डेबिट' सुविधा के माध्यम से खाताधारक के बैंक / डाकघर खाते से प्रीमियम काटा जाएगा। हालांकि, ऐसे मामलों में जहां ऑटो डेबिट 1 जून के बाद होता है, आवरण बैंक/डाकघर द्वारा प्रीमियम के ऑटो डेबिट की तारीख से शुरू होगा। वार्षिक दावा अनुभव के आधार पर प्रीमियम की समीक्षा की जाएगी।

पात्रता शर्तें: भागीदार बैंकों/डाकघरों के व्यक्तिगत खाताधारक जो 18 वर्ष (पूर्ण) और 70 वर्ष (जन्मदिन के निकट आयु) के, जो उपरोक्तानुसार शामिल होते हैं /ऑटो-डेबिट करने के लिए अपनी सहमति देते हैं, इस योजना में नामांकित होंगे ।

मास्टर पॉलिसी धारक: भाग लेने वाले ग्राहकों की ओर से भागीदार बैंक/डाकघर मास्टर पॉलिसी धारक होगा। भागीदार बैंकों के परामर्श से संबंधित साधारण बीमा कंपनी द्वारा एक सरल और ग्राहक अनुकूल प्रशासन और दावा निपटान प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया है।

आवरण की समाप्ति: निम्नलिखित में से किसी भी घटना पर सदस्य के लिए दुर्घटना आवरण समाप्त हो जाएगा और इसके अंतर्गत कोई लाभ देय नहीं होगा:

1) 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर ।(आयु निकटतम जन्मदिन)
2) बैंक/डाकघर में खाता बंद होने या बीमा को जारी रखने के लिए खाते मे शेष राशि की कमी।
3- यदि कोई सदस्य एक से अधिक खातों के माध्यम से आवरित किया जाता है और बीमा कंपनी को अनजाने में प्रीमियम प्राप्त होता है, तो बीमा आवरण केवल एक बैंक/डाकघर खाते तक ही सीमित होगा और डुप्लिकेट बीमा (बीमाओं) के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम ज़ब्त हो जाएगा।

4- यदि किसी तकनीकी कारण से बीमा आवरण समाप्त हो जाता है जैसे कि नियत तारीख पर अपर्याप्त शेष राशि या किसी प्रशासनिक मुद्दे के कारण, पूर्ण वार्षिक प्रीमियम प्राप्त होने पर, निर्धारित शर्तों के अधीन इसे बहाल किया जा सकता है। इस अवधि के दौरान, जोखिम आवरण को निलंबित कर दिया जाएगा और जोखिम आवरण की बहाली बीमा कंपनी के विवेकाधिकार पर होगी।

5) सहभागी बैंक प्रीमियम राशि उसी महीने में काट लेंगे जब ऑटो डेबिट विकल्प दिया जाता है, अधिमानतः हर साल मई में, और देय राशि बीमा कंपनी को उसी महीने में भेज दी जाएगी।

प्रशासन: यह योजना, उपरोक्त के अधीन, बीमा कंपनी द्वारा निर्धारित मानक प्रक्रिया के अनुसार प्रशासित की जाएगी। डेटा प्रवाह प्रक्रिया और डेटा प्रोफार्मा अलग से प्रदान किया जाएगा।

यह सहभागी बैंक/डाकघर की जिम्मेदारी होगी कि वह 'ऑटो-डेबिट' प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित अवधि के अंदर खाताधारकों से उचित वार्षिक प्रीमियम वसूल करे।

निर्धारित प्रोफार्मा में नामांकन फॉर्म / ऑटो-डेबिट प्राधिकरण सहभागी बैंक/ डाकघर द्वारा प्राप्त और संरक्षित किया जाएगा। दावे के मामले में, बीमा कंपनी उसे प्रस्तुत करने की मांग कर सकती है। बीमा कंपनी किसी भी समय इन दस्तावेजों को मांगने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

पावती पर्ची को पावती पर्ची-सह-बीमा प्रमाणपत्र के रूप में बनाया जा सकता है।

यदि परिस्थितियों की मांग होती है तो भावी नवीनीकरण तिथि शुरू होने से पहले योजना को बंद किया जा सकता है।

प्रीमियम का औचित्य :

1) बीमा कंपनी को देय बीमा प्रीमियम: रु. 20/- प्रति वर्ष प्रति सदस्य

2) बीमाकर्ता द्वारा व्यापार प्रतिनिधियों, एजेंटों आदि को देय कमीशन: प्रति सदस्य रु.1/- (केवल नए नामांकन के लिए)।

3) बीमाकर्ता द्वारा भागीदार बैंक को देय प्रशासनिक व्यय: रु.1/- प्रति सदस्य प्रति वर्ष;

नोट: इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा एक खाताधारक को स्वैच्छिक नामांकन के मामले में सहेजे गए व्यापार संवाददाताओं, एजेंटों, आदि को मद 2 में निर्दिष्ट कमीशन की राशि को तदनुसार मद 1 में निर्दिष्ट बीमा प्रीमियम से कम करके ग्राहक को लाभ के रूप में पारित किया जाएगा। ।